राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(9)नविवि / 2020 जयपुर, दिनांकः 20 DEC 2021

आदेश

मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम..................(भवन विनियम)} 2020 के विनियम– 7.8 में व विनियम 10.2 (भवन निर्माण के मानदण्ड) की तालिका 1 में निम्नानुसार नया बिन्दु जोड़ा / समायोजित किया जाता हैः–

7.8 लघु एवं मध्यम शहरों में दो हेक्टेयर एवं बड़े शहरों में पांच हैक्टेयर व इससे अधिक क्षेत्रफल के विशिष्ट उपयोग परिसर के अन्तर्गत खेल परिसर (स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स) हेतु भवन मानदण्ड तालिका 1 के क्रम संख्या 8 अनुसार होंगे।

10.2 भवन निर्माण के मानदण्डः– भवनों के लिये भवन निर्माण बाबत् भूखण्ड का क्षेत्रफल, सैटबेक की न्यूनतम आवश्यकता, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई की सीमायें व मानक बी.ए. आर. तालिका–1 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

तालिका–1

भूखण्डों पर (आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, स्पोर्ट्स, कॉम्पलैक्स) भवन निर्माण हेतु मानदण्ड

क्र. स.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	अधिकतम भू–आच्छादन	न्यूनतम सैटबेक्स (मी.)	अधिकतम ऊंचाई (मी.) (सड़क मार्गाधिकार के अनुसार)	मानक बी.ए.आर
8.	स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स स्कीम	25%	सैटबेक योजनानुसार मान्य होंगे	—	0.40
	नोटः– परिसर में ऐसे भवन जो कि चारों तरफ से दीवार से घिरा व छत से ढका हुआ हो बी.ए.आर. की गणना में शामिल होगा।				

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर / जोधपुर / अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम